राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 26 / 2024

प्रार्थी :–

1. पीरामल केपिटल एंड हाउसिंग फाईसेंस लिमिटेड (पूर्व नाम दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कोरपोरेसन लिमिटेड) पता– कार्यालय 601, 6जीए फलोर अमिती बिल्डिग, अगस्तया कोरपेट पार्क, कामिनी जंक्शन, अपोजिट फायर स्टेशन, एल. बी. एस. मार्ग, कुरला वेस्ट मुम्बई।
   क्षेत्रीय कार्यालय एम आई रोड़ नंबर 302 / 1 से 6 तीसरा फलोर, जयपुर टॉवर एम आई रोड़, जयपुर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी पुनीत कुमार बोहरा।

बनाम

अप्रार्थीगणः –

1. श्री लक्ष्मण राम पुत्र श्री हरजी राम प्रजापत पता– गांव पाटोदी, बस स्टेण्ड के पास, जिला बालोतरा।
2. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री लक्ष्मणराम पता– गांव पाटोदी, बस स्टेण्ड के पास, जिला बालोतरा।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :–

1.श्री विरेन्द्र सिंह ईंदा अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

दिनांकः– 12.03.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण लक्ष्मण व अन्य के विरूद्व पेश हुआ।

जिला कलक्टर
बालोतरा

2. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को सेक्शन लेटर दिनांक 26.04.2017 को कुल राशि रूपये 11,08,514/– (अक्षरे ग्याहर लाख आठ हजार जांच सौ चौदह रूपये) मोर्टगेज ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी श्री लक्ष्मणराम की मारगेज बंधक संपति खसरा नंबर 4399/4064, प्लॉट नं 38, तहसील पाटोदी, जिला बालोतरा, को प्रार्थी बैंक /कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज **दिनांक 25.12.2018 तक** 11,51,594/– रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

3. हमने पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी के पक्ष में सम्पति बंधक के तौर पर उक्त खसरे की प्लॉट की रजिस्टरी रखी गई। उक्त भूमि से संबंधित पट्टा पत्रावली के संलग्न नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि उक्त भूमि संबंधित पट्टा उपलब्ध नहीं है। उक्त अधिनियम के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पास बन्धक सम्पति के रूप में पट्टा रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली में बंधक सम्पति का पट्टा के अभाव होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाकर पत्रावली नंबर से कम हो ।

4. आदेश आज दिनांक **12.03.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

जिला मजिस्ट्रेट
बालोतरा